

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

2022/165

प्रार्थी सुखविन्द्र सिंह पुत्र सरदूल सिंह जाति जटसिख निवासी 8 एलएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पारिवारिक सदस्य सूचि प्रमाण पत्र, आई डी प्रूफ एवं मूल रसीद गुम होने का शपथ पत्र मय रसीद प्रति पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता सरदूल सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति जटसिख निवासी 8 एलएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 28.06.2010 को वसीयत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 13.04.2022 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 28.06.2010 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थीया को गवाहान सुखदेव सिंह पुत्र राम सिंह एवं मुख्तयार सिंह पुत्र तेजा सिंह ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।  
जिला पंजीयक महोदय



